Setting up of a Television Relay Centre at Visakhapatnam

1555. SHRI S.R.A.S. APPALANAIDU Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) how many new areas would be covered with television relay during the year 1980-81 and thier names ; and

(b) whether there is any proposal to set up a Television relay Centre at Visakhapatnam in Andhra Pradesh, if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI VASANT SATHE) : (a) The Government is working out a scheme to set up Relay Centres in various parts of the country by using microwave link in collaboration with the Ministry of Communications.

(b) If feasible, under the proposed scheme, Visakhapatnam will also be borne in mind.

राजस्थान नहर योजना का कार्यान्वयन

1556. **श्री विरधी चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कंवर सेन द्वारा तैयार की गई राजस्थान नहर योजना की प्रतियां और मानचित्र सभा-पटल पार रखे जायेंगे ;

(ख) उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं और क्या इस बारे में विस्तृत सूचना सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए तैयार है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि राजस्थान नहर बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर के लिए अलग से कोई स्कीम तैयार नहीं की गई । लेकिन राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1975 में मैसर्स वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लि. (भारत सरकार का एक उपक्रम) की राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो में लिफ्ट सिंचाई को शामिल करने के लिए अन्वेषण करने के लिए एक कार्य-योजना तैयार करने के लिए कहा गया था, इस समय इस चरण के अन्तर्गत केवल 6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की प्रवाह-सिंचाई की व्यवस्था है । यह कार्य एक समिति के मार्ग-दर्शन में किया जाना था जिसमें श्री कंवर सेन भी शामिल थे । अप्रैल, 1976 में वाटर एण्ड पावर कंसेल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में यह प्रस्ताव किया गया था कि प्रवाह-सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र को 6 लाख हैक्टेयर से घटा कर 3.5 लाख हैक्टेयर किया जाए और 3.89 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए लिफ्ट सिंचाई करने की स्कीम में शामिल किया जाए । इस रिपोर्ट और अन्य प्रस्तावों पर विचार करने के बाद राजस्थान सरकार ने फरवरी, 1977 में राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो के लिए एक संशोधित स्कीम तैयार की ताकि प्रवाह-सिंचाई वाले कृषि योग्य कमान क्षेत्र को 6 लाख हैक्टेयर से घटा कर 5 लाख हैक्टेयर करके, 2.6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था की जा सके । बाद में, 1978 में राज्य सरकार ने मूल स्कीम को ही अपनाने के लिए पुनः विचार किया ताकि केवल प्रवाह-सिंचाई की जाए । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

Ravi-Beas Water Dispute Between Punjab and Haryana

1557. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA : Will the Minister of ENERGY AND IRRIGATION AND COAL be pleased to state :

(a) what are the details of the decision taken by the Central Government in regard to Ravi-Beas water dispute between the States of Punjab and Haryana;

(b) whether it is a fact that the Punjab Government has not implemented the decision of the Central Government as yet and if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government are aware that Sutlej-Yamuna Link Project of the Government of Haryana has been held up for want of concurrence there on by the Punjab Government; and

(d) if so, what steps Government propose to take to direct the Punjab Government to implement the decision without further delay ?

THE MINISTER OF ENERGY AND IRRIGATION AND COAL (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI) : (a) The Central Government, in terms of the provisions of Section 78 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, issued a Notification on 24-3-76, directing that out of the water which would have become available to the erstwhile State of Punjab on completion of the Beas Project, the State of Haryana will get 3·5 M.A.F. and the State of Punjab will get the remaining quantity not exceeding 3·5 M.A.F.

(b) to (d). The Government of Haryana formulated the Sutlej-Yamuna Link Project to utilise its allocated share in the waters as determined under (a) above. The project envisages the construction of a portion of the Sutlej-Yamuna Link Canal through Punjab territory. Punjab represented against the allocation of waters to Haryana as determined under (a) above and raised objection to the alignment and design of the Sutlej-Yamuna Link in Punjab territory. Haryana, on the other hand, requested that the issue of water allotted to Haryana may not be reopened and requested for early construction of the Sutlej-Yamuna Link in Punjab territory. Government of India had been making efforts to bring about an understanding between the two State Governments. The Government of Haryana, however, in April, 1979 filed a suit in the Supreme Court for expeditious implementation of Sutlej-Yamuna Link Project in Punjab territory. Punjab also filed a suit in the Supreme Court, questioning the vires of Section 78 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, under which the order of 24th March, 1976 was issued, and also chalenging the validity of the order of 24th March, 1976. The matter is now pending decision by the Supreme Court on the two suits.

विधि आयोग के 71 वें प्रतिवेदन पर कार्यवाही

1558. **श्री अनादि चरण दास** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री विवाह विच्छेद के बारे में न्यायालय की प्रक्रिया के संबंध में 5 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10713 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग के 71 वें प्रतिवेदन पर जो लगभग 2 वर्ष पूर्व पेश किया गया था, कार्रवाई की है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र तथा राज्य सरकारों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन लोगों को राहत देने के विचार से जिनके विवाह असमाहार्य रूप से टूट चुके हैं और जिनके मुकदमें गत 20 वर्षों से न्यायालयों में विचाराधीन हैं, विधि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए चालू सत्र के दौरान एक विधेयक लाने और उसे पारित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में कार्रवाई करने तथा एक विधेयक लाने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) जी हां ।

(ख) यह रिपोर्ट राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई है और साधारणतः वे आयोग की सिफारिशों के स्वीकार किए जाने के पक्ष में हैं ।

(ग) और (घ). सरकार इस रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है और जब केन्द्रीय सरकार इन सिफारिशों पर अन्तिम विनिश्चय कर लेगी तब कार्रवाई की जाएगी ।

Long and Short term Plan for Utilising coil, River and Sea Waters and Wood Resources for Power Generation

1559. SHRI MAGANBHAI BAROT: SHRI S.R.A.S. APPALANAIDU:

Will the Minister of ENERGY AND IRRIGATION AND COAL be pleased to state :

(a) the details of short term and long term plan for utilising coal, river, sea water and wood resources for power generation;

(b) whether any surveys have been conducted in this regard; and

(c) if so, the details of the surveys and the financial implication thereto ?